अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
<u>मंत्रिमण्डल सचिवालय</u>

विषयः– सदन की मेज पर रखे जाने वाले वार्षिक लेखा प्रतिवेदनों/वार्षिक प्रतिवेदनों/ अंकेक्षित लेखा प्रतिवेदनों को ऑनलाइन करने के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस सचिवालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 6.12.2023 की ओर पुनः आकर्षित कर लेख है कि 16वीं राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र की बैठकें दिनांक 03 जुलाई, 2024 से प्रारंभ हो गयी हैं । विधान सभा सत्र के मद्देनजर राज्य सरकार के शासकीय विभागों के अधीन आयोगों, आयुक्तालयों, प्राधिकरणों, निगमों, राजकीय उपक्रमों, विश्वविद्यालयों के संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखवाये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदनों, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनों (अंकेक्षित) को न्यूनतम साइज की ग्रे–स्केल की पीडीएफ फाइल तैयार कर पैन ड्राइव में भिजवाने के साथ ही उनकी 25 प्रतियां (प्रभारी मंत्री महोदय से अधिप्रमाणित प्रति सहित) मैन्युअली राजस्थान विधानसभा को भिजवाया जाना आवश्यक है ।

अतः अनुरोध है कि आपके नियंत्रणाधीन शासकीय विभागों के अधीन आयोगों, आयुक्तालयों, प्राधिकरणों, निगमों, राजकीय उपक्रमों, विश्वविद्यालयों के संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदनों, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनों (अंकेक्षित) को उक्तानुसार ही विधानसभा सचिवालय को भिजवाते हुए, इस सचिवालय को भी अवगत कराने का श्रम करावें ।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

अशा.टीप क्रमांकः प. 30(7)मं.मं./2023
दिनांकः

प्रतिलिपि :– उप सचिव(सदन), राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांकःप. 33(16) सदन/विस/2019/19733 दिनांक 28.6.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

शासन सचिव

RajKaj Ref
8690530

Document certified by SUDHIR KUMAR SHARMA <VABOSI8498@LIEBOE.COM>.

Digitally Signed by Sudhir Kumar Sharma
Designation : Secretary To Government
Date :05-07-2024 01:35:47